

केवल शासकीय प्रयोग हेतु

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश



नगरीय निकाय निर्वाचन, 2022

प्रेक्षकों के लिए दिशा निर्देश

राज्य निर्वाचन आयोग
(पंचायत एवं नगरीय निकाय),
उत्तर प्रदेश
पी0सी0एफ0 भवन, 32-स्टेशन रोड,
लखनऊ-226001

1. सामान्य

पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों को सुदृढ़, सक्षम एवं सक्रिय बनाने के उद्देश्य से भारत के संविधान में क्रमशः 73वें व 74वें संशोधन के माध्यम से भाग 9—क जोड़ दिया गया। संविधान के उपरोक्त संशोधित उपबन्धों के अनुसार क्रमशः उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 एवं उत्तर प्रदेश नगरीय स्वायत्त शासन (संशोधन) अधिनियम, 1994 को पारित किया गया। जिसके अनुसार इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष है और उस कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही उनका निर्वाचन कराया जाना संवैधानिक बाध्यता है। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार पंचायतों व नगरीय निकायों के निर्वाचन कराने का दायित्व क्रमशः अनुच्छेद 243—ट व 243—य क के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है। इन निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण का पूर्ण संवैधानिक दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का है। इस प्रकार पंचायतों एवं नगरीय निकायों के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप से निर्वाचन सम्पन्न कराने में राज्य निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि के रूप में प्रेक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन एक से अधिक चरणों में सम्पन्न होने हैं। तत्पश्चात् मतगणना का कार्य प्रारम्भ होगा। मतदान व मतगणना के कार्यों के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए प्रेक्षकों की नियुक्ति सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है।

2. प्रेक्षकों की भूमिका

नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं उ0प्र0 सिविल (कार्यकारी शाखा) सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रेक्षक के रूप में नियुक्ति की जाती है। उनकी वरिष्ठता व प्रशासनिक सेवा के दीर्घ अनुभवों के आधार पर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्रेक्षक के रूप में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने में आयोग के आँख व कान बनकर कार्य करेंगे। प्रेक्षकगण अपने-अपने सम्बन्धित जनपद में निर्वाचन प्रबन्ध तंत्र, शान्ति व्यवस्था पर पैनी निगाह रखेंगे व निर्वाचन से सम्बन्धित सुसंगत अधिनियमों, नियमावलियों के प्रावधानों, निर्वाचन प्रणाली तथा आयोग के निर्देशों का कड़ाई और निष्पक्षता से पालन कराते हुए अपने प्रेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन करेंगे एवं तत्सम्बन्धी सूचनाओं को निर्धारित प्रारूप पर आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

3. कार्य—विवरण

नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् आयोग मतदान एवं मतगणना हेतु प्रेक्षकों की तैनाती करेगा एवं तैनात किए गए प्रेक्षकों को उन्हें आवंटित जनपद तथा ड्यूटी के सम्बन्ध में आयोग के निर्देश उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें संलग्न परिशिष्ट—'क' के अनुसार निर्वाचन निर्देश पुस्तिकायें, निर्वाचन नियमावली, आदर्श आचार संहिता तथा आयोग द्वारा जारी की गई निर्वाचन प्रतीकों की अधिसूचना आदि उपलब्ध कराई जाएगी। परिशिष्ट—'ख' के अनुसार निर्वाचन अधिसूचना की प्रति, ड्यूटी के दौरान आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्टों के प्रारूप आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। परिशिष्ट—'ग' के अनुसार स्टेशनरी की किट उपलब्ध कराई जाएगी।

आयोग द्वारा प्रेक्षक ड्यूटी से मुक्त करने के सम्बन्ध में न तो कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाएगा और न ही प्रतिस्थानी व्यवस्था स्वीकार की जाएगी। इस संदर्भ में प्रेक्षकगण आयोग से सीधे कोई पत्राचार नहीं करेंगे, जो भी पत्राचार करना होगा उसे शासन के नियुक्ति विभाग के माध्यम से करेंगे। प्रेक्षकों को ड्यूटी के दौरान उन्हें परिवार के साथ यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी।

4. अवकाश

- (1) किसी भी प्रेक्षक एवं रिजर्व प्रेक्षक को निर्वाचन के दौरान आयोग की पूर्व अनुमति के बिना कोई अवकाश देय नहीं होगा। विशेष परिस्थिति में ही आयोग से इस सम्बन्ध में पत्र व्यवहार किया जा सकता है।
- (2) यदि कोई प्रेक्षक अपने व्यक्तिगत कार्य या निर्वाचन से इतर शासकीय कार्य से मुख्यालय छोड़ना चाहता है तो उसे आयोग से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी।

5. सुविधाएं

- (1) जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) द्वारा प्रेक्षकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी :-
 - (क) एक स्टेनो व ड्राइवर सहित कार,
 - (ख) सुरक्षा तन्त्र,
 - (ग) एक मार्ग दर्शक,
 - (घ) प्रेक्षक मुख्यालय पर इण्टरनेट कनेक्टिविटी सहित एक कम्प्यूटर (ऑपरेटर सहित),
 - (ङ) गाड़ी में वायरलेस सेट, तथा
 - (च) एक वीडियोग्राफर जो उनके प्रवास के दौरान प्रत्येक दिवस उनके साथ रहेगा।
 - (छ) जिला मुख्यालय के सर्किट हाउस/गेस्ट हाउस का वी0आई0पी0 सूट प्रेक्षक के प्रवास के दौरान उनके नाम आरक्षित रहेगा।
 - (ज) सुरक्षा की दृष्टि से एक हेलमेट तथा वॉडी प्रोटेक्टर।
- (2) यदि किसी प्रेक्षक को अपनी निर्वाचन सम्बन्धी ड्यूटी के निर्वहन में कोई आपातिक/आकस्मिक व्यय करना पड़े तो उस स्थिति में वह जिला निर्वाचन अधिकारी को उपरोक्त व्यय वाउचर उपलब्ध करा देगा और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक के प्रमाण पत्र/वाउचर पर तत्काल उस धनराशि का भुगतान कर देगा और वह उस व्यय को आकस्मिक व्यय की मद से आहरण कर लेगा।

6. निर्वाचन ड्यूटी सम्बन्धी विवरण

- (क) सभी प्रेक्षक जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, उसमें भ्रमण करने का कार्यक्रम तैयार करेंगे तथा उसकी सूचना जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजेंगे ताकि वे उनके आगमन पर समुचित सुरक्षा व्यवस्था व प्रवास का प्रबन्ध कर सकें एवं उनके भ्रमण कार्यक्रम को प्रसारित कर सकें।
- (ख) कोई भी प्रेक्षक जब वह निर्वाचन ड्यूटी पर होगा तो अपने साथ परिवार को नहीं ले जाएगा।
- (ग) ऐसे प्रेक्षक जिन्हें रिजर्व ड्यूटी में रखा गया है, वे अपने तैनाती के मुख्यालय पर ही रहेंगे।
- (घ) प्रेक्षकों को आवंटित जनपद में मतदान के 03 दिन पूर्व सायंकाल तक अनिवार्य रूप से पहुँचना है। जनपद मुख्यालय पर पहुँच कर प्रेक्षक निर्धारित प्ररूप-1 पर अपनी उपस्थिति की सूचना आयोग को देंगे। जिस चरण का मतदान होना है, उससे सम्बन्धित नगरीय निकायों के अन्तर्गत आने वाले वार्डों, मतदान केन्द्रों, मतदान स्थलों तथा मतदान स्थलों से सम्बद्ध मतदाताओं की संख्या का विवरण सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक को देंगे। इसके अतिरिक्त रूट चार्ट, रिटर्निंग अधिकारियों/सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की सूची, सेक्टर एवं जोनल मजिस्ट्रेटों तथा उनके मुख्यालयों की सूची, निर्वाचन क्षेत्रान्तर्गत आने वाले थानों तथा उनके टेलीफोन नं0 की सूची, संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों/स्थलों की सूची प्रेक्षकों को उपलब्ध कराई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नगरीय निकायों के चेयरपर्सन तथा वार्डों के सदस्यों/पार्षदों के पदों के आरक्षण तथा चेयरपर्सन एवं सदस्यों/पार्षदों के प्रतीक आवंटन के पश्चात् चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की अन्तिम सूची प्रेक्षक को उपलब्ध कराई जाएगी।
- (ङ) प्रेक्षक मतदान स्थल पर मतदान हेतु समस्त आवश्यक व्यवस्था, मतदान केन्द्र/मतदान स्थल पर समुचित पुलिस बल तथा मतदान शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष कराने हेतु सेक्टर/जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती आदि समस्त व्यवस्था को विशेष रूप से देखेंगे। इसके साथ ही वे इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि क्या मतदान की समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार को रोक दिया गया है तथा क्या मतदान दिवस में मतदान समाप्ति के लिए नियत समय से 48 घंटा पूर्व तथा मतगणना

दिवस को शराब की दुकानें बन्द कराए जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। वे मतदान कार्मिकों से उनके मतदान कराने की प्रक्रिया एवं सुसंगत प्रावधानों की जानकारी एवं समझ को भी परखेंगे, जैसे पीठासीन अधिकारी की डायरी भरने का ढंग, अमिट स्याही का प्रयोग, निविदत्त मतदाताओं की प्रक्रिया आदि और उन्हें नियमानुसार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कराने हेतु आवश्यक निर्देश भी दे सकते हैं।

- (च) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निर्बल वर्ग के मतदाताओं के क्षेत्र में भ्रमण कर एवं उनसे वार्ता कर यह पता करेंगे कि पूर्व के सामान्य निर्वाचन में उनके क्षेत्रों में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया में अवांछनीय तत्वों द्वारा बाधा पहुँचाने अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने का कोई प्रयास तो नहीं किया गया था, और यदि ऐसा है तो तदनुसार जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु कहेंगे।
- (छ) प्रेक्षक जो भी रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे वे अति गोपनीय होंगी तथा प्रेक्षक किसी को भी उन्हें संसूचित नहीं करेंगे।
- (झ) मतदान तैयारियों की पूर्ण समीक्षा के उपरान्त रिपोर्ट चेक लिस्ट संख्या-1 पर भेजी जाएगी।

7. शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा

प्रेक्षक आवंटित जनपद में जिला मजिस्ट्रेट तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक से विचार विमर्श करके सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र की शान्ति व्यवस्था तथा सुरक्षात्मक प्रबन्धों का जायजा लेंगे और यदि कहीं उस व्यवस्था व प्रबन्ध में किसी सुधार की आवश्यकता समझते हों तो तदनुसार उन्हें सुझाव भी देंगे। मतदान दलों का मतदान स्थलों के लिए रवाना होने के पश्चात् प्रेक्षक मतदान स्थलों का भ्रमण करके यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान हेतु समुचित प्रबन्ध एवं व्यवस्था हो गई है।

मतदान केन्द्रों/स्थलों की व्यवस्था का जायजा लेने में विशेष रूप से यह देखा जाएगा व सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त मतदान सामग्री यथा सम्बन्धित मतदान स्थल की निर्वाचक नामावली, अभीष्ट संख्या में मतपत्र तथा मतदान कर्मी उपलब्ध हैं। आयोग के निर्देशानुसार मतदान कक्ष को तैयार किया गया है। इन सबके बारे में प्रेक्षक संलग्न प्ररूप-2 में सूचना आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

8 मतदान-दिवस

मतदान दिवस के दिन प्रेक्षक अपने निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमणशील रहकर जिला मजिस्ट्रेट एवं जोनल मजिस्ट्रेटों/सेक्टर मजिस्ट्रेटों से समय-समय पर मतदान के शान्तिपूर्ण सम्पन्न होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करते रहेंगे तथा मतदान समाप्त होने पर अपरान्ह 06.00 से 07.00 बजे के मध्य मतदान सकुशल सम्पन्न होने तथा मतदान प्रतिशत की रिपोर्ट अनिवार्यतः आयोग को निर्धारित प्ररूप-3 पर भजी जाएगी। यदि किसी मतदान स्थल पर शान्ति व्यवस्था भंग होने या किसी दुर्घटना के कारण मतपत्र नष्ट किया गया हो या उनसे छेड़खानी की गई हो या मतपेटिका/ई0वी0एम0 मशीन अवैधानिक कब्जे में कर ली गई हो या उसे अवैध रूप से लेकर कोई भाग गया हो, जिससे उस मतदान स्थल का परिणाम प्रभावित हो सकता हो तो प्रेक्षक को मतदान रोक देने का अधिकार प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में घटना के पूर्ण विवरण के साथ अपनी आख्या अविलम्ब निर्वाचन आयोग को भेजनी होगी। यदि किसी मतदान स्थल पर पुनर्मतदान की आवश्यकता होती है तो उसके सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेक्षक के माध्यम से आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करेंगे। स्वतंत्र व निष्पक्ष मतदान की जानकारी प्राप्त करने हेतु मतदान दिवस को प्रेक्षक मतदान स्थल के अन्दर जा सकेंगे। मतदान स्थलों से मतदान दलों की वापसी, मतपेटियों का स्ट्रांग रूम में जमा होने व सील करने के पश्चात् प्रेक्षक आयोग को निर्धारित प्ररूप-4 पर सूचना देंगे और उसके बाद ही जनपद मुख्यालय को छोड़ेंगे। यदि कहीं पुनर्मतदान होता है तो पुनर्मतदान की समाप्ति तथा मतपेटिकाओं के स्ट्रांग रूम में जमा होने और उसको सील किए जाने के बाद ही प्रेक्षक जनपद मुख्यालय को छोड़ेंगे। तत्सम्बन्धी सूचना संलग्न प्ररूप-3 तथा प्ररूप-4 में आयोग को उपलब्ध कराई जाएगी। उसी प्रकार मतगणना हेतु

तैनात प्रेक्षक गणना होने से दो दिन पूर्व सांयकाल तक आवंटित जनपद में पहुँच जाएंगे तथा मतगणना समाप्ति एवं परिणाम घोषित होने के बाद आयोग को सूचित करते हुए आवंटित जनपद से प्रस्थान कर सकेंगे।

9. महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी देना

मतदान दिवस में घटित महत्वपूर्ण घटना या घटनाओं जिनके कारण मतदान में व्यवधान उत्पन्न हो गया हो या मतदान स्थगित कर दिया गया हो, उनका संज्ञान प्रेक्षक लेंगे और तत्सम्बन्धी रिपोर्ट आयोग को तत्काल प्रेषित करेंगे। (चेक लिस्ट संख्या-2)

यदि किसी मतदान स्थल/मतगणना स्थल पर कब्जा कर लेने या किसी मतपत्र या मतपत्रों/मतपेटिका/ई0वी0एम0 को पीठासीन अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी के कब्जे से अवैधानिक ढंग से लिया गया हो या मतपत्रों/ई0वी0एम0 को दुर्घटनावश/जानबूझकर नष्ट कर दिया गया हो या उन्हें क्षति पहुँचाई गई हो या उनसे छेड़खानी की गई हो जिससे उस मतदान स्थल का परिणाम प्रभावित हो रहा हो या मतपेटिका/ई0वी0एम0 से सम्बन्धित मतदान स्थल का चिह्नीकरण नहीं हो पा रहा है तो प्रेक्षक अविलम्ब आयोग को सूचित करेंगे ताकि आयोग उस पर विचार करने के बाद आगे की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

10. मतगणना प्रेक्षक

मतगणना कराने हेतु नियुक्त प्रेक्षक निर्धारित तिथि से दो दिन पूर्व तक जनपद मुख्यालय पहुँचेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ वार्ता करके मतगणना केन्द्रों पर शान्ति व्यवस्था एवं सुरक्षा प्रबन्धों की जानकारी लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी मतगणना केन्द्रों की तैयारी के सम्बन्ध में आयोग के निर्देशानुसार संक्षिप्त नोट प्रेक्षक को प्रस्तुत करेंगे। प्रेक्षक उक्त संक्षिप्त नोट एवं उनके द्वारा एक दिन पूर्व किए गए मतगणना स्थलों के भ्रमण की रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएंगे। मतगणना में अनुमानतः 01 दिन लगने की संभावना है। इसलिए प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित जनपद के मतगणना स्थल एवं स्ट्रॉंग रूम का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि मतगणना का कार्य सुचारु एवं अबाध रूप से चल रहा है। प्रेक्षकों को अनिवार्य रूप से मतगणना के सम्बन्ध में रिपोर्ट नियत प्ररूप पर मतगणना प्रारम्भ होने पर प्ररूप-6 एवं मतगणना समाप्त होने पर प्ररूप-7 पर प्रेषित करनी होगी। इन रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख करते हुए कि रिपोर्ट के समय तक कितने प्रतिशत परिणाम घोषित हो चुके हैं, भेजनी होगी। मतगणना के दौरान प्ररूप-6 तथा मतगणना समाप्ति पर प्ररूप-7 एवं चेक लिस्ट संख्या-2 एवं 3 पर अपनी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएंगे।

आयोग द्वारा प्रारम्भ की गई तकनीकी सेवाओं से सम्बन्धित दिशा निर्देश :-

- 10.1 प्रेक्षक जनपद में पहुँचने के उपरान्त सॉफ्टवेयर के माध्यम से लगाई जाने वाली मतदान ड्यूटी के Third Randomization की आवश्यक रूप से जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि निर्वाचन ड्यूटी नियमानुसार तैयार कर लगाई जा रही है।
- 10.2 जनपद द्वारा तैयार की गई अनुपूरक मतदाता सूची के प्रकाशन को Sample Basis पर जाँच कर यह देख लें कि वे नियमानुसार तैयार की गई हैं।
- 10.3 जनपद द्वारा चिह्नित किए गए अतिसंवेदनशील + (Plus) मतदान केन्द्रों की जाँच इस आशय से कर लें कि वे सही प्रकार से चुने गए हैं। उन पर लगाए जाने वाले वीडियो कैमरे की व्यवस्था सुनिश्चित करा लें तथा मतदान के दिन प्रत्येक दशा में ऐसे सभी मतदान स्थलों पर सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग आवश्यक रूप से की जाए।
- 10.4 मतदान के दिन मतदान की समाप्ति के उपरान्त जनपद द्वारा आयोग को प्रेषित की गई नगरीय निकायवार पोलिंग प्रतिशत के आँकड़ों का शत-प्रतिशत मिलान कर लें।
- 10.5 परिणाम घोषित होने के उपरान्त जनपद द्वारा आयोग की वेबसाइट पर फीड किए गए परिणामों को Sample Basis पर वास्तविक परिणामों से जाँच कर लें।

- 10.6 प्रेक्षकों द्वारा समय-समय पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट, जिनका प्ररूप प्रेक्षक निर्देश पुस्तिका में दिया गया है वे सभी प्ररूप आयोग की वेबसाइट पर "ADEO Portal" Login Section में उपलब्ध हैं। प्रेक्षकों का मोबाइल नं० ही User Name होगा तथा पासवर्ड (OTP) SMS के माध्यम से प्रेक्षकों के मोबाइल नं० पर प्राप्त होगा। सभी प्रेक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जनपद में पहुँचने के उपरान्त उक्त रिपोर्ट आयोग की वेबसाइट पर submit करें, जिससे आयोग द्वारा सभी जनपदों में हो रही प्रगति की Monitoring की जा सके।
- 10.7 प्रेक्षकों के लिए एक मोबाइल ऐप भी develop किया गया है। निर्देश पुस्तिका में दी गई Check List एवं प्ररूप मोबाइल ऐप में उपलब्ध हैं।
- 10.8 यदि किसी जनपद में अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना सम्भव न हो तो ऐसी परिस्थिति में प्रगति रिपोर्ट को फ़ैक्स के माध्यम से भी भेजा जा सकता है, जिसे आयोग स्तर पर सॉफ्टवेयर में फीड करा दिया जाएगा, परन्तु यह उस दशा में किया जाए जब ऑनलाइन रिपोर्ट भेजना सम्भव न हो।

11. विशेष

निर्वाचन में खड़े होने वाले व्यक्तियों तथा स्थानों/पदों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए प्रेक्षकों को विशेष ध्यान देना होगा कि मतगणना कार्य में कोई बाधा किसी स्तर से उत्पन्न न की जा सके। प्रेक्षक से यह भी अपेक्षा की जाती है कि मतगणना कार्य में की जा रही किसी चूक अथवा त्रुटि का जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी से वार्ता करके तत्काल उसका निराकरण कराएंगे।

मतगणना की समाप्ति के पश्चात् तथा आयोग को मतगणना की समाप्ति की रिपोर्ट प्रेषित करने के पश्चात् ही प्रेक्षक जनपद मुख्यालय छोड़ सकेंगे।

परिशिष्ट-‘क’

1. निर्वाचन निर्देश पुस्तिकाएं

- (क) रिटर्निंग अधिकारियों (रिटर्निंग आफिसर) एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारियों (असिस्टेंट रिटर्निंग आफिसर) के उपयोगार्थ निर्देश पुस्तिका।
 - (ख) पीठासीन अधिकारियों के उपयोगार्थ निर्देश पुस्तिका।
 - (ग) पीठासीन अधिकारियों (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग हेतु) के उपयोगार्थ निर्देश पुस्तिका
 - (घ) मतगणना अधिकारियों/कर्मचारियों के उपयोगार्थ निर्देश पुस्तिका।
2. आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता।
 3. निर्वाचन प्रतीक सम्बन्धी आयोग की अधिसूचनाएं।
 4. निर्वाचन प्रतीक आवंटन प्रक्रिया सम्बन्धी आदेश।
 5. नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022 से सम्बन्धित महत्वपूर्ण आदेशों/निर्देशों की प्रतियाँ।
 6. उ0प्र0 नगर पालिका (सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों का निर्वाचन) नियमावली-2010

परिशिष्ट-‘ख’

1. सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों और महापौरों के सामान्य निर्वाचन की अधिसूचना।
2. निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर नम्बरों की सूची/E-Mail।
3. आवंटित जिले में मतदान के तीन दिन पूर्व पहुँचने की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-1)।
4. मतदान दलों की रवानगी के दिन की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-2)।
5. मतदान के दिन प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-3)।
6. मतदान के दिन मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् सील्ड मतपेटियों के जमा हो जाने के उपरान्त प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-4)।
7. आवंटित जिले में मतगणना के लिए नियत तिथि से दो दिन पूर्व जनपद मुख्यालय पर पहुँचने की सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-5)।
8. मतगणना के प्रारम्भ होने से समाप्ति तक प्रत्येक 4 घंटे के अंतराल पर व मतगणना के अंत में प्रेषित की जाने वाली सूचना (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-6)।
9. मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट (प्रेक्षकों हेतु प्ररूप-7)।

परिशिष्ट-‘ग’

- | | |
|--|----------|
| 1. नोट बुक (160 पेजेज, साइज 21.6 X 114 Cm) | 01 अदद |
| 2. नोट बुक (92 पेजेज, साइज 10.5 X 7.4 Cm) | 02 अदद |
| 3. पेन (नीला/काला) | 02 अदद |
| 4. हाइलाइटर | 01 अदद |
| 5. स्टेपलर | 01 अदद |
| 6. स्टेपलर पिन (HD-10 D स्माल) | 01 अदद |
| 7. ग्लू स्टिक (स्माल 8 ग्राम) | |
| 8. पेपर क्लिप | 01 पैकेट |
| 9. स्टेशनरी रखने हेतु उत्तम क्वालिटी का प्लास्टिक स्टेशनरी बॉक्स | 01 अदद |

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

चेकलिस्ट संख्या-1

राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान की तैयारी हेतु प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट
प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम :.....

क्रम सं.	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	क्या प्रेक्षक का नाम, उसका जनपद में रुकने का लोकल एड्रेस, दूरभाष/मोबाइल नम्बर तथा राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों/आम जनता से मिलने हेतु समय एवं स्थान की सूचना दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से दे दी गई है ?	
2.	क्या ई0वी0एम0 के रैण्डमाइजेशन, उसकी तैयारी और ई0वी0एम0 के द्वितीय लेबल चेकिंग की सूचना उम्मीदवारों को दे दी गई है ?	
3.	क्या आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन व्यय के सम्बन्ध में सभी उम्मीदवारों को भलीभांति अवगत कराया गया है ?	
4.	क्या मतदान, प्रशिक्षण एवं रिजर्व में प्रयोग की जाने वाली ई0वी0एम0 की सूची राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को दी गई है ?	
5.	क्या निकायवार मतदान केन्द्र/स्थलों की सूची प्राप्त कर ली गई है ?	
6.	क्या निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा उनको आवंटित प्रतीकों की सूची पदवार/वार्डवार प्राप्त कर ली गई है ?	
7.	क्या मतदान स्थलों की संख्या के अनुसार (आरक्षित मतदान दल को सम्मिलित करते हुए) मतदान दलों का गठन कर लिया गया है ?	
8.	क्या मतदान दलों का सम्यक् प्रशिक्षण करा दिया गया है ?	
9.	क्या वांछित संख्या (4 प्रतियाँ) में निकायवार/वार्डवार/भागवार निर्वाचक नामावली की प्रतियाँ तैयार कर ली गई हैं ?	
10.	क्या मूल निर्वाचक नामावली के साथ वार्डवार/भागवार पूरक सूचियाँ संलग्न कर दी गई हैं ?	
11.	क्या मतदान के लिए मतदाताओं की संख्या के अनुरूप मतपत्र/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन प्राप्त हो गई है ?	
12.	क्या मतपत्रों की पैकेटिंग पदवार/मतदान स्थलवार कर ली गई है ?	
13.	क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पदवार/मतदान स्थलवार तैयार कर ली गई है ?	
14.	क्या मतदान दल को निर्वाचन सामग्री के वितरण की व्यवस्था कर ली गई है ?	
15.	क्या मतदान दलों के लिस रूट चार्ट तैयार कर लिए गए हैं ?	
16.	क्या मतदान दलों की रवानगी हेतु मानकों के अनुसार मतदान दलों की संख्या के अनुरूप वाहनों का अधिग्रहण (जिला/तहसील मुख्यालय पर)	

	कर लिया गया है ?	
17.	क्या मतदान दलों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध कर लिया गया है ?	
18.	क्या जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कर ली गई है ?	
19.	क्या संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों/स्थलों का चिह्नीकरण कर लिया गया है तथा सूची प्राप्त कर ली गई है ?	
20.	क्या संवेदनशील/अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है तथा उसकी समीक्षा कर ली गई है ?	
21.	क्या कानून व्यवस्था हेतु शराब एवं अन्य मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोग लगा दी गई है ?	
22.	क्या अराजक तत्वों विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाहियाँ सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कर दी गई है ?	
23.	क्या मतदान दलों की वापसी पर सामग्री को प्राप्त किए जाने की समुचित व्यवस्था कर ली गई है ?	
24.	क्या स्ट्रॉग रूम की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ?	
25.	क्या गणन पर्यवेक्षक/गणन सहायकों की नियुक्ति कर ली गई है ?	

नोट :- क्रम संख्या-02, 04, एवं 13 पर रिपोर्ट उन्हीं प्रेक्षकों को भेजना है जिनके जनपद में नगर निगम हैं।

दिनांक

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-1)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना
(आंवटित जनपद में मतदान के तीन दिन पूर्व पहुँचने पर)

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	प्रेक्षक का नाम व विभागीय पदनाम	सम्मिलित नगरीय निकायों के नाम	जनपद में पहुँचने का दिनांक व समय	अवस्थान का स्थल व दूरभाष नम्बर	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य सुविधाओं की जनपद स्तर पर उपलब्धता	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-2)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना
(मतदान दलों की खानगी के दिन)

प्रेक्षक का नाम व पदनाम :

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों के नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान स्थलों की संख्या	मतदान दलों की संख्या	संवेदनशील मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों की संख्या	क्या संवेदनशील/अति संवेदनशील मतदान केन्द्रों/मतदान स्थलों पर आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ? हाँ/नहीं	क्या मतदान स्थलों के लिये मतदान दलों की खानगी पूर्ण कर उनके गन्तव्य पर पहुँचने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ? हाँ/नहीं	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-3)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना
(मतदान की समाप्ति पर सांय 06 बजे से 07 बजे के मध्य प्रेषित की जाने वाली सूचना)

प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों के नाम	क्या सभी जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट तथा रिटर्निंग अधिकारी से मतदान शान्तिपूर्ण समाप्त होने की सूचना प्राप्त हो गयी है ? हाँ/नहीं	मतदान समाप्ति पर नगरीय निकायवार मतदान प्रतिशत	मतदान की समाप्ति तक भ्रमण किए गए मतदान स्थलों में मतदान प्रक्रिया के संबध में टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-4)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतदान सम्बन्धी सूचना

(मतदान के दिन मतदान सम्पन्न होने के पश्चात् सीलड मतपेटियों के जमा होने के उपरान्त प्रेषित की जाने वाली सूचना)

प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों के नाम	मतदान के केन्द्रों की संख्या	मतदान स्थलों की संख्या	आपात स्थिति में मतदान स्थगन के सम्बन्ध में मतदान स्थल/सेक्टर/नगरीय निकाय के नाम के साथ विवरण यदि कोई हो।	स्थगन का कारण	मतदान के उपरान्त सीलड मतपेटियाँ दृढ़ कक्ष में सुरक्षित जमा कराने के संबध में विस्तृत टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	3	4	5	6	7	8	9

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

चेकलिस्ट संख्या-2

राज्य निर्वाचन आयोग को मतदान की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट

प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्रम सं.	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	कुल मतदान स्थलों की संख्या	
2.	मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ एक ही इलेक्शन एजेण्ट/पोलिंग एजेण्ट उपस्थित था।	
3.	कुल मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ वीडियो कैमरा लगाए गए	
4.	मतदान प्रारम्भ होने के पश्चात् बदले गए ई0वी0एम0 की संख्या	
5.	मतदान के दिन निर्वाचन नियमों के उल्लंघन की शिकायत वाले मतदेय स्थलों की संख्या	
6.	उन मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ मतदान दो घण्टे से अधिक बाधित रहा या दो घण्टे देर से शुरू हुआ	
7.	मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ बाधित मतदान प्रारम्भ नहीं हो पाया	
8.	मतदान स्थलों की संख्या, जहाँ प्रेक्षक की राय के अनुसार पुनर्मतदान की आवश्यकता	
9.	क्या स्ट्रॉग रूम के खुलने और बन्द होने के अंकन हेतु नियत प्ररूप पर लॉग बुक बनाई गई है	

दिनांक

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-5)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतगणना सम्बन्धी सूचना

(आवंटित जनपद में मतगणना के लिए नियत दिनांक के दो दिन पूर्व जनपद मुख्यालय पर पहुँचने पर)

प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों / मतगणना स्थलों के नाम	जनपद मुख्यालय पर पहुँचने का दिनांक व समय	अवस्थान का स्थल व दूरभाष नम्बर	राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य सुविधाओं की जनपद स्तर पर उपलब्धता	मतगणना स्थल पर की गई सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में टिप्पणी	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022
प्रेक्षक रिपोर्ट
(प्ररूप-6)
राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना प्रारम्भ होने की सूचना

प्रेक्षक का नाम व पदनाम
निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों/मतगणना स्थलों के नाम	मतदान स्थलों की संख्या	भ्रमण किए गए मतगणना स्थलों/नगरीय निकायों के नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

(प्ररूप-7)

राज्य निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जाने वाली मतगणना सम्बन्धी सूचना
(मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट)

प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्र. सं.	सम्मिलित नगरीय निकायों/मतगणना स्थलों के नाम	सदस्यों, पार्षदों, अध्यक्षों तथा महापौरों का विवरण		क्या मतगणना सभी मतदान स्थलों की सम्पन्न हो गयी ? हाँ/नहीं	कितने मतदान स्थलों की गणना सम्पन्न नहीं हो सकीं	मतगणना सम्पन्न न होने के कारण	अभ्युक्ति
		नगरीय निकायवार पदों/स्थानों की संख्या जिन पर मतदान हुआ	मतगणना की समाप्ति पर पद/स्थानवार घोषित परिणामों का विवरण				
1	2	3	4	5	6	7	8

दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रेक्षक

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2022

प्रेक्षक रिपोर्ट

चेकलिस्ट संख्या-3

राज्य निर्वाचन आयोग को मतगणना की समाप्ति पर प्रेषित की जाने वाली सूचना की चेकलिस्ट
प्रेक्षक का नाम व पदनाम

निर्वाचन का चरण

जनपद का नाम

क्रम सं.	विषय	प्रेक्षक की आख्या
1.	क्या मतगणना हेतु व्यवस्था आयोग के निर्देशों के अनुरूप की गई थी ?	
2.	क्या मतगणना कार्मिक प्रॉपर मिक्सिंग एवं रैण्डमाइजेशन से लगाए गए थे ?	
3.	नगरीय निकायवार गणना हेतु मेजों की संख्या	
4.	कुल कितने डाक मतपत्र प्राप्त हुए थे और कितने की गणना की गई ?	
5.	प्रेक्षक द्वारा कितने मतदान स्थलों/कन्ट्रोल यूनिट की मतगणना की रैण्डम चेकिंग की गई ?	
6.	क्या मतगणना प्रक्रिया की निरन्तर वीडियोग्राफी कराई गई ?	
7.	क्या मतगणना के दौरान कोई महत्वपूर्ण घटना हुई, यदि हाँ तो उसका विवरण	

दिनांक

हस्ताक्षर प्रेक्षक